बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के शैक्षिक दर्शन की *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के संदर्भ में प्रासंगिकता

संजय कुमार*

आधुनिक भारत में बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के शैक्षिक दर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि उनका शैक्षिक दर्शन समानता एवं न्याय पर आधारित है। इस शोध-पत्र में उनके शैक्षिक दर्शन को समग्रता से समझने का प्रयास किया गया है। इसमें शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण, उद्देश्य, अध्ययन-अध्यापन, स्त्री-पुरुष समान शिक्षा, नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी कैसे होने चाहिए आदि की विस्तृत व्याख्या की गई है। डॉ.अम्बेडकर के शैक्षिक दर्शन का लाभ उठाकर प्रत्येक भारतीय व्यक्ति अपने नैतिक एवं चारित्रिक विकास के साथ-साथ, व्यावहारिक जगत में उसका प्रयोग कर वैज्ञानिक चिंतन की परंपरा का विकास कर सकेगा और भारत विकसित राष्ट्र की संकल्पना के साथ आगे बढ़ सकेगा। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर का शैक्षिक दर्शन स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, स्वाभिमान एवं मानवीय गरिमा जैसे मानवीय एवं लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। यही उनका आधुनिक एवं प्रगतिशील चिंतन है, जो उनके शैक्षिक दर्शन को प्रासंगिक बनाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के शैक्षिक दर्शन के वास्तविक लक्ष्य को प्रस्तुत करती है, जिसका स्पष्ट उल्लेख इस शोध अध्ययन में किया गया है। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का आधार मानते थे, उनका मानना था कि शिक्षा द्वारा ही शोषित-वंचित समाज को मुख्यधारा में जोड़ा जा सकता है। यदि उनके शैक्षिक दर्शन को व्यावहारिक जगत में लागू किया जाए तो शिक्षक-शिक्षार्थी एवं शोषित-वंचित समाज के साथ-साथ राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का कल्याण निश्चित होगा।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर आधुनिक भारत के महान समाज-वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, शिक्षाशास्त्री कानूनविद, इतिहासकार, दार्शनिक, पत्रकार, मानवाधिकारों के संरक्षक, भारतरत्न भारतीय संविधान के निर्माता हैं अर्थात् बाबासाहेब का व्यक्तित्व विराट है। वे एक ऐसे वर्ग से आते थे, जिसे अस्पृश्य (अछूत) समझा जाता था, जिसके कारण उन्हें आजीवन अनेक कठिनाइयों एवं वंचनाओं का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें ज्ञात हुआ कि भारतीय समाज में बहुत असमानता और भेदभाव है। डॉ. अम्बेडकर ने अपना संपूर्ण जीवन समाज सुधार जैसे महान कार्य हेतु समर्पित कर दिया, इसलिए उन्हें भारतीय सामाजिक संरचना में प्रचलित सभी दमनकारी और भेदभावपूर्ण प्रथाओं के विरुद्ध 'सामाजिक क्रांति के मसीहा' के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारत एवं विदेशों में अपनी शिक्षा को

**शोधार्थी,* C/O श्याम बाबू, गाँव अमिलिया, पोस्ट-मैलहां, तहसील-फूलपुर, विद्या आर्या लेखपाल का घर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश 212402

पूर्ण किया। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में अनुसूचित जाति के लोगों ने शायद ही शिक्षा प्राप्त की होगी, उस समय बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने विदेशों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त कर सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी आजीविका का प्रारंभ किया और कुछ समय के लिए गवर्मेंट लॉ कॉलेज, बॉम्बे में प्रिंसिपल भी रहे, किंतु देश की सेवा और शोषित-वंचित समाज के कल्याणार्थ हेतु उन्होंने नौकरी का त्याग कर दिया। देश में शिक्षा के विकास में उनका योगदान अतुलनीय है। एक शिक्षक और प्रधानाचार्य होने के अतिरिक्त, वे शिक्षा के एक महान प्रवक्ता और राष्ट्रीय ख्याति के शैक्षिक संस्थानों के संस्थापक एवं निर्माता थे। इन सबसे अलग वे तथागत बुद्ध की भाँति एक महान शिक्षक थे।

विभिन्न शिक्षाशास्त्रियों एवं विद्वानों ने शिक्षा को व्यापक संकल्पना के रूप में प्रस्तुत एवं परिभाषित करने का प्रयास किया है। किसी ने 'सा विद्या या विमुक्तये' तो किसी ने उसे शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करने वाला बताया है, तो किसी ने शिक्षा को आंतरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करने वाला बताया है। किंतु बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने इन सभी से अलग, शिक्षा को सामाजिक बंधुत्व एवं मानवीय सदगुणों का विकास करने वाला बताया है (यादव, 2017, पृ. 1085)। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, 'शिक्षा वह है, जो मनुष्य को आत्म-निर्भर बनाती है, एकता सिखाती है, जन्मसिद्ध अधिकार समझाती है, संघर्ष करना और आज़ादी हेतु लड़ना सिखाती है।' (साईलक्ष्मी और रेड्डी, 2018, पृ. 90)। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया है। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने शिक्षा को एक अद्वितीय शस्त्र के रूप में चुना, जिसने भारतीय समाज की सभी सामाजिक असमानताओं की जड़ों को काटा। नेल्सन मंडेला का भी मानना था कि, "शिक्षा सबसे शक्तिशाली शस्त्र है, जिसके द्वारा दुनिया को बदला जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार की शिक्षा होगी, उसी प्रकार से समाज या राष्ट्र को परिवर्तित किया जा सकता है" (कुमार, 2022, पृ. 97–98)। डीवी के अनुसार "व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन की सामाजिक निरंतरता का साधन है" (कुमार, 2019, पृ. 208)। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने डीवी के इस विचार को अपने शैक्षिक दर्शन के आधार के रूप में लिया।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने अपनी पुस्तकों, लेखों एवं भाषणों में प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में बताया है, जो इस प्रकार हैं—

- मानसिक विकास शिक्षा का उद्देश्य पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा स्वतंत्र सोच या चिंतन पर बल देना है। उनका विश्वास था कि केवल तथ्यों व सिद्धांतों का मस्तिष्क में प्रवेश ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, अपितु तथ्यों एवं सिद्धांतों के मूल्यांकन करने की मानसिक क्षमता का विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है।
- शिक्षा का उद्देश्य मानवीय चरित्र का निर्माण करना है। समाज के विकास हेतु उनके सदस्यों का चारित्रिक गुणों से संपन्न होना आवश्यक है, क्योंकि चारित्रिक गुणों से युक्त मानव ही

अपने ज्ञान का प्रयोग समाज के कल्याणार्थ हेतु करेगा।

- वैज्ञानिक चिंतन का विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य है। इसके माध्यम से शिक्षार्थी स्वयं की समस्याओं का समाधान तर्कपूर्ण एवं खोजपूर्ण तरीके से कर सकता है अर्थात स्वावलंबन की प्राप्ति ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है।
- सामाजिक समानता व लोकतांत्रिक भावना का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है, जिसके माध्यम से हम आदर्श समाज की स्थापना कर सकते हैं।
- शिक्षा का उद्देश्य नैतिक या मानवीय मूल्यों का विकास करना है, क्योंकि यही वह मूल्य है, जिसके माध्यम से मानव-मानव में प्रेमपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण भाव स्थापित किया जा सकता है और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एवं न्याय पर आधारित समाज का निर्माण किया जा सकता है।
- शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास तथा बुद्धि एवं आत्मसम्मान को जागृत करना है।
- शिक्षा के माध्यम से समाज को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से विकसित बनाना है (यादव, 2017, पृ. 1085)।

इसी प्रकार *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के अनुसार भी शिक्षा का उद्देश्य ऐसे सद्गुणी मानव का विकास करना है जो तर्कसंगत विचार एवं कार्य में पारंगत हो, जिसमें करुणा, सहानुभूति, साहस, लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन, रचनात्मक कल्पनाशक्ति, नैतिक मूल्य समाहित हो। शिक्षा का उद्देश्य ऐसे उत्पादक नागरिक तैयार करना है जो भारतीय संविधान द्वारा परिकल्पित-समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में सकारात्मक योगदान दे सकें (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* पृ. 6)।

शिक्षण-अधिगम भाषा के माध्यम से होता है, भाषा के माध्यम से ही शिक्षा को प्रचारित एवं प्रसारित किया जाता है। अनेक शोध अध्ययनों से ज्ञात होता है कि यदि विद्यार्थियों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाए तो शिक्षा की प्रभावशीलता में सुधार होता है। इसलिए बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर चाहते थे कि शिक्षण मातृभाषा में प्रदान किया जाए, जिसके माध्यम से शिक्षण-अधिगम को रुचिपूर्ण बनाया जा सकता है। उन्होंने मातृभाषा के साथ-साथ एक विदेशी भाषा सीखने पर भी बल दिया। वे सोचते थे कि इससे विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर होने वाली नई घटनाओं को समझने में सहायता मिलेगी (राठो, 2021, पृ. 3158)। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी मातृभाषा आधारित शिक्षण पर बल दिया गया है ताकि विद्यार्थी सरलता एवं सुगमता से विषय को समझ सकें। शिक्षण रुचिपूर्ण हो, इसलिए विद्यालयी स्तर पर खेल आधारित शिक्षण पर भी बल दिया गया है। विद्यार्थी कक्षा 5 या सम्भव हो तो कक्षा 8 के बाद अंग्रेजी को भी विषय के रूप में अपना सकते हैं। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में कहा गया है कि, 'भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में उच्चतर गुणवत्ता वाले कोर्स के अतिरिक्त, विदेशी भाषाएँ, जैसे— कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी भी माध्यमिक स्तर पर व्यापक रूप से अध्ययन हेतु सिखाई या पढ़ाई जाएँगी जिससे विद्यार्थी विश्व संस्कृतियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें तथा अपनी रुचियों एवं

आकांक्षाओं के अनुसार अपने वैश्विक ज्ञान को तथा सम्पूर्ण विश्व में घूमने-फिरने को सहजता से बढ़ा सकें *(राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* अनुच्छेद, 4.20)। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर पारंपरिक शिक्षण विधि के पक्ष में नहीं थे, वे उसमें आमूल-चूल परिवर्तन चाहते थे, इस संदर्भ में देखें तो *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी शिक्षण विधि में आमूल-चूल परिवर्तन किया गया है। जिसका लक्ष्य सभी स्तरों पर पाठ्यचर्या और शिक्षण विधि के समग्र केंद्र बिंदु शिक्षा प्रणाली को रटने की पुरानी प्रथा से अलग वास्तविक समझ और ज्ञान की ओर ले जाना है। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर समस्याओं का निराकरण अनुसंधानात्मक रूप से करने तथा तथ्यों व विचारों के मूल में जाकर उनका विश्लेषण करने तथा उन्हें तार्किक पैमाने पर प्रमाणित करने पर बल देते हैं। इस दृष्टिकोण से वे खोज उपागम, समस्या-समाधान विधि तथा वैज्ञानिक विधि द्वारा शिक्षण करने के पक्षधर प्रतीत होते हैं (यादव, 2017, पृ. 1085)। ऐसी ही शिक्षण विधियाँ *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी सुझाई गई हैं।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर मुक्त और अनिवार्य शिक्षा के पक्षधर थे, जिसे प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। समाज में विद्यमान सभी मतभेद शिक्षा की कमी के ही परिणाम हैं। इसलिए वे शिक्षा को सबकी पहुँच में लाने के पक्ष में थे। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* सहायक प्रतीत होती है। इसमें सभी विद्यार्थियों हेतु, चाहे उनका निवास स्थान कहीं भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी। इस कार्य में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रह रहे समुदायों, वंचित और अल्प-प्रतिनिधि वाले समूहों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा बराबरी सुनिश्चित करने का सार्थक माध्यम है, जिसके माध्यम से समाज में समानता, समावेशन और सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता प्राप्त की जा सकती है। ऐसे समूहों के प्रत्येक बच्चे हेतु, परिस्थितिजन्य बाधाओं के बावजूद, प्रत्येक संभव पहल की जानी चाहिए, जिससे वे शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश प्राप्त कर, उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने अपने एक भाषण में लोगों को संबोधित करते हुए कहा है, "व्यक्ति जीवन के संघर्ष में तब तक स्थायी नहीं रह सकता, जब तक वे शिक्षित नहीं हो जाता। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति अपमान, शोषण, दमन जैसी सामाजिक समस्याओं के जाल में फंस जाता है। इसलिए सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों को शिक्षित कर उनके बौद्धिक विकास में सहायता प्रदान करे, क्योंकि ज्ञान मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं नैतिक विकास का आधार है" (चेंगटे, 2016, पृ. 633)। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य नियंत्रित शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया है। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर का कहना था कि, "बुद्धि एक तलवार की भाँति है, जिसे धारण करने वाले व्यक्ति को प्रत्येक समाज एवं समूह पहचानता है। ज्ञान हेतु अच्छे चरित्र एवं शिष्टता का होना आवश्यक है। यदि इसके बिना लोग शिक्षित हो जाएँगे, तो राष्ट्र और समाज नष्ट हो सकता है।

ज्ञान एवं बुद्धि का अनूठा संयोजन ही शिक्षा है। एक जागृत व्यक्ति जानता है कि उसके लिए सबसे अच्छा क्या है, सही और गलत के मध्य अंतर जानता है, तभी वह शिक्षित माना जाता है" (कुमार रत्ने, 2018, पृ. 482-484)। शोषित-वंचित समाज की सामाजिक मुक्ति में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने शोषित-वंचित समाज के लिए तीन नारे लगाए— "शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। प्राथमिकता में प्रथम वाक्य था, क्योंकि बिना शिक्षित हुए दूसरे एवं तीसरे वाक्य का कोई औचित्य नहीं रह जाता है अर्थात शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त करने के पश्चात ही अन्य दो लक्ष्यों की प्राप्ति संभव है" (सौभाग्य, 2014, पृ. 178)। इसका आशय समाज में अधिकार प्राप्त करना, जीवन में सफलता प्राप्त करना एवं सामाजिक न्याय हेतु लोगों में शक्ति का संचार कर संघर्ष हेतु तैयार करना है।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के विचारों में, शिक्षा ही एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य आत्म-प्रबुद्ध हो सकता है। शिक्षा समाज में जीवन का निर्माण करती है। उन्होंने अपने दर्शन में स्वाभिमान, आत्मविश्वास और मानवीय गौरव को सर्वाधिक महत्व दिया। वे शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एवं निर्भयता जैसे गुणों का विकास करना चाहते थे (राठो, 2021, पृ. 3157)। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर की भाँति *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* ने भी माना है कि शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायपूर्ण समाज और राष्ट्रीय विकास को प्रोत्साहन देने हेतु आधारभूत आवश्यकता है, उन्होंने शिक्षा को केवल एक बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के साधन के रूप में या किसी की आजीविका कमाने के स्रोत के रूप में ही नहीं देखा, अपितु शिक्षा को समाज में वांछित परिवर्तन लाने के लिए सबसे शक्तिशाली शस्त्र और आधुनिक समय में किसी भी सामाजिक आन्दोलन को प्रारंभ करने के लिए संगठित प्रयास के लिए एक शर्त माना। उनके लिए शिक्षा शोषित-वंचित समाज को निरक्षरता, अज्ञानता और अंधविश्वास से मुक्त करने का एक साधन थी, जो सभी प्रकार के अन्याय, शोषण और दमन के विरुद्ध संघर्ष करने में सक्षम बनाती है। उनका मानना था कि यदि दलित समाज को शिक्षित किया जाए, तो वे अपने परंपरागत व्यवसाय का परित्याग कर एवं गरिमापूर्ण व्यवसायों को अपना कर, भारतीय समाज में श्रम विभाजन पर आधारित शोषणकारी पुरानी जाति-आधारित संरचना को समाप्त कर सकते हैं (साईलक्ष्मी रेड्डी, 2018, पृ. 90)।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि जिस प्रकार मनुष्य को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ज्ञान के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है, बिना ज्ञान के कुछ संभव नहीं है। एक शिक्षित व्यक्ति के संदर्भ में उन्होंने कहा कि, "एक शिक्षित व्यक्ति वह है, जो अपनी शिक्षा का उपयोग गरीबों, असहायों, कमज़ोरों एवं जरूरतमंदों के कल्याण हेतु करता है अन्यथा उसकी शिक्षा समाज के लिए एक अभिशाप है" (कुमार एवं रत्ने, 2018, पृ.486)। साथ ही साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना, वैश्विक मंच

पर सामाजिक न्याय एवं समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण तथा सांस्कृतिक संरक्षण भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है, (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* पृ. 3)। उन्होंने शोषित-वंचित समाज को दयनीय एवं अमानवीय स्थिति से मुक्ति हेतु शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शोषित-वंचित समाज के लोगों से कहा कि, "आप लोगों की अपने बच्चों के प्रति जो ज़िम्मेदारी थी, उसे सही तरीके से नहीं निभाई, जिसका परिणाम यह हुआ आप लोगों ने अपने बच्चों के भविष्य को नष्ट कर दिया। आप लोगों ने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं किया और उनकी कम उम्र में कर्ज़ लेकर शादी कर देते हैं, जिससे उन्हें जल्द बच्चे पैदा हो जाते हैं। जबकि यह उम्र शिक्षा प्राप्त करने की होती है। इस प्रकार वह अपनी गरीबी, दीन-हीन एवं दयनीय अवस्था में जीवन जीता रहता है और फिर वही पुराना सिलसिला चलता रहता है" (विमलकीर्ति, 2015, खण्ड-1, पृ. 73–74.)। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने शोषित-वंचित समाज की दशा सुधारने एवं उनकी औपचारिक शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया। उन्होंने 9 मार्च, 1924 को बम्बई में 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' बनाने हेतु एक बैठक आयोजित की, जो शोषित-वंचित समाज के कल्याणार्थ हेतु बनाई गई थी। इसके विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों में एक कार्य शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना भी था। उन्होंने 'पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी' का गठन किया। इस सोसाइटी ने वर्ष 1946 में सिद्धार्थ कॉलेज, वर्ष 1949 में संत गाड़गे महाराज चोखामेला विद्यार्थी वासतिगृह और वर्ष 1950 में मिलिंद कॉलेज जैसे शिक्षण संस्थान की स्थापना की (स्ट्रॉउड, 2017, पृ. 90)।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर चाहते थे कि, "भारत में स्कूलों एवं कॉलेजों का व्यापक स्तर पर विस्तार हो, जिसका लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग के बच्चों को हो और वे वहाँ से योग्य विद्यार्थी के रूप में बाहर आएँ तथा आत्मनिर्भर होकर राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें" (डॉ. अम्बेडकर, 2013, खण्ड-4, पृ. 143)। भारत की स्वतंत्रता के बाद केंद्र एवं राज्य सरकारों ने शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया है, जिसमें व्यापक रूप से विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के द्वारा भी ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से शिक्षा को सभी तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने 20 दिसंबर, 1946 को अखिल भारतीय दलित विद्यार्थी परिषद् के विद्यार्थियों को एक संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि, "दलित विद्यार्थियों को अवसर प्राप्त होने पर उन्हें यह सिद्ध करना चाहिए कि वे योग्यता या बुद्धिमत्ता में अन्य किसी विद्यार्थी से किंचित मात्र भी कम नहीं हैं। उन्हें अपने निजी स्वार्थ से हटकर अपने समाज के कल्याणार्थ हेतु समर्पित रहना चाहिए" (श्रीवास्तव, 2011, पृ. 27)। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर की शिक्षा के प्रति लगाव की स्पष्ट झलक स्वतंत्रता सेनानी सर फिरोज शाह मेहता की स्मृति में आयोजित एक सभा में दिखाई देती है, जिसमें मेहता जी का पुतला लगाने की घोषणा हुई, इस पर उन्होंने *बॉम्बे क्रॉनिकल* में अपने विचार रखते हुआ लिखा कि, "मेहता जी की

स्मृति में सिर्फ पुतला खड़ा कर स्मारक स्थापित किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उनकी याद को अमर बनाने के लिए सरकार द्वारा एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी देश के मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए पुस्तकालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है" (मून, 2000, पृ. 13.)। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर का शैक्षिक दर्शन समाज के सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक है। यदि उनके शैक्षिक दर्शन का अनुसरण विद्यार्थी करें, तो उनका विकास सुनिश्चित है। विशेषकर शोषित-वंचित समाज के विद्यार्थियों को चाहिए कि उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करें और सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का पूर्णरूपेण लाभ प्राप्त करें ताकि उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर शिक्षा को सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए आवश्यक मानते थे, चाहे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। सभी पुरुषों और महिलाओं को कम से कम न्यूनतम शिक्षा प्राप्त करनी ही चाहिए ताकि वे पढ़ना-लिखना सीख सकें। प्राथमिक शिक्षा जनता को शिक्षित करने की न्यूनतम आवश्यकता को पूर्ण करती है। बाबासाहेब के अनुसार, "प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य यह देखना है कि प्रत्येक बच्चा जो प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है, वह प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण कर रहा है या नहीं (ढ़ल, 2017, पृ. 8582)। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* का भी उद्देश्य है कि प्रारंभिक शिक्षा सभी बच्चों को प्राप्त हो, इसलिए बच्चे बीच में ही शिक्षा को क्यों छोड़ देते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त कर, समस्या का समाधान करना है, ताकि शिक्षा का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के अनुसार महिलाओं को भी स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए तथा उन्हें भी पुरुषों के समान शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। वे भी राष्ट्र निर्माण में पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर अपना योगदान दे सकें। उनका मानना था कि लड़कियों के जीवन में विभिन्न रूप होते हैं, जैसे— बहन, बेटी, पत्नी, बहू, माता, सास आदि। यदि वे शिक्षित एवं संस्कारित होंगी, तो स्वाभाविक है कि समाज का विकास स्वयं ही हो जाएगा, क्योंकि महिलाएँ ही घर को सजाने-संवारने का कार्य करती हैं अर्थात महिलाओं के शिक्षित एवं संस्कारी होने से उनके बच्चे भी शिक्षित एवं संस्कारी होंगे, जो राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक योगदान देंगे। इसी प्रकार जब संपूर्ण भारत की महिलाएँ शिक्षित हो जाएँगी, तो स्वाभाविक है कि भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा।

20 जुलाई, 1942 को नागपुर में अपने एक भाषण में, बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने कहा, "मैं किसी समाज की प्रगति, वहाँ की महिलाओं की प्रगति से मापता हूँ। यदि देश की आधी आबादी (महिलाएँ) अशिक्षित हैं, तो देश प्रगति नहीं कर सकता है। शिक्षा महिलाओं के लिए उतनी ही आवश्यक है, जितनी कि पुरुषों के लिए।" (राठो, 2021, पृ. 3157)। उन्होंने अस्पृश्य महिलाओं की एक सभा में कहा कि, "आपके गाँव का ब्राह्मण अत्यंत निर्धन होने के बावजूद भी वह अपने बच्चों को स्कूल अवश्य भेजता है, जिसके कारण उनके बच्चे मजिस्ट्रेट बनते

हैं। आप लोगों को उस ब्राह्मण से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी पुरानी दयनीय स्थिति का परित्याग कर देना चाहिए।" (जाटव, 2003, पृ.105)। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के महिला शिक्षा के लक्ष्य को *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। इस हेतु नीति में कहा गया है कि, "सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह की बालिकाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रबंध किया जाए यह उनकी वर्तमान एवं आने वाली पीढ़ियों के शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाने का सर्वोत्तम तरीका होगा। यह शिक्षा नीति इस बात की अनुशंसा करती है कि सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह के विद्यार्थियों के लिए बनाई जा रही नीतियाँ और योजनाएँ विशेष रूप से इस समूह की बालिकाओं पर केंद्रित होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत सरकार सभी बालिकाओं के साथ ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और न्यायसंगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में देश की क्षमता का विकास करने हेतु एक 'जेंडर समावेशी निधि' की स्थापना करेगी। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं को लागू करने के लिए राज्यों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक कोष का निर्माण किया जाएगा। महिलाओं एवं ट्रांसजेंडर बच्चों तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह प्रावधान अत्यंत महत्वपूर्ण है (जैसे— स्वच्छता व शौचालय से संबंधित सुविधाएँ, साइकिल व सशर्त नकद हस्तांतरण आदि)। यह कोष राज्यों को समुदाय आधारित कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने और उसे बड़े स्तर तक ले जाने में सक्षम बनाएगा, जो महिलाओं व ट्रांसजेंडर बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में परिस्थितिजन्य समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करेगा। अन्य सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह की शिक्षा तक पहुँच से संबंधित समान समस्याओं के समाधान हेतु इसी प्रकार की 'समावेशी निधि' की व्यवस्था की जाएगी। संक्षेप में, *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* का उद्देश्य किसी जेंडर या अन्य सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह के बच्चों के लिए शिक्षा (व्यावसायिक शिक्षा सहित) तक पहुँच में शेष असमानता को समाप्त करना है" (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, पृ. 40–41)।

उच्च शिक्षा के संदर्भ में बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने कहा है कि, "मेरी राय में उच्च शिक्षा वह है, जो व्यक्ति को राज्य प्रशासन में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पदों पर स्थापित करने में सक्षम बनाती है। शोषित-वंचित समाज का उद्धार सिर्फ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा द्वारा ही नहीं हो सकता, अपितु उन्हें उच्च शिक्षित होकर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पदों पर स्थापित होना चाहिए, जिससे वे अब तक वंचित रहे हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्य को सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करना चाहिए (सौभाग्य, 2014, पृ. 178–79)। वर्तमान में भारत को विश्वगुरू बनाने की परिकल्पना की जा रही है, अपितु यह परिकल्पना बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर आज से सौ वर्ष पूर्व ही कर चुके थे, इसलिए वे विकास का पैमाना शिक्षा को मानते थे। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात'(ग्रोस एनरोलमेंट रेशो) को 26.3

प्रतिशत (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा (मीना और शर्मा, 2021, पृ. 61)। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा के माध्यम से ही भारत में व्याप्त विभिन्न कुरूतियों या असंगतियों को समाप्त कर, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व एवं न्याय पर आधारित समाज का निर्माण किया जा सकता है। इससे प्रबुद्ध भारत निर्माण के सपने को साकार किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जन आंदोलन का एक प्रभावी साधन है, जो शोषित-वंचित समाज को अन्याय एवं शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने और इसे समाप्त करने हेतु प्रोत्साहित कर सकती है एवं स्वतंत्र चिंतन का मार्ग प्रशस्त करती है। शिक्षा के माध्यम से शोषित-वंचित समाज स्वयं को उस स्तर पर स्थापित कर सकता है, जिस स्तर पर सवर्ण समाज है। शोषित एवं वंचित समााज के लिए आवश्यक है कि वह अपने को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि सभी स्तरों पर संपन्न बनाए, जो शिक्षा के माध्यम से ही संभव है (सौभाग्य, 2014, पृ. 179)।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर स्वयं नवोन्मेषी एवं सृजनात्मक शिक्षक थे। उनके अनुसार, "शिक्षा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और शिक्षक उसे वास्तविक आधार प्रदान करता है। इसलिए शिक्षा और क्षमता पूर्णरूपेण प्रमाणित ज्ञान, आत्मनिर्भरता, सीखने की प्रवृत्ति और शिक्षक के कौशल प्रदान करने पर निर्भर करती है"। उन्होंने अपने शिक्षण-अधिगम में चिंतन, मनन एवं अध्ययन के त्रिकोणीय सूत्र को अपनाया। इस सूत्र के कारण वे स्वयं एक अच्छे शिक्षक और व्यापक अर्थों में एक सामाजिक शिक्षक बन गए। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, शिक्षक ज्ञान हेतु लालायित, मनोयोगपूर्वक विद्यार्जन करने की दृढ़ इच्छाशक्ति वाला एवं आत्मविश्वासी होना चाहिए। वे शिक्षक को राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण घटक मानते हैं, जिसके बिना राष्ट्र निर्माण की संकल्पना अधूरी है। इसलिए एक शिक्षक को ज्ञानी, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए, जिससे वह विद्यार्थियों की शिक्षा में मौलिक समस्याओं और कमियों को समझ सके। शिक्षक को स्वयं नैतिक गुणों से युक्त एवं चरित्रवान होना चाहिए, तभी वह शिक्षार्थियों को नैतिक एवं चरित्रवान बना सकता है। प्रत्येक शिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु बौद्धिक, सकारात्मक और दयालु शिक्षक होने चाहिए (कुमार और रत्ने, 2018, पृ. 484)। साथ ही, शिक्षक को पूर्वाग्रह से मुक्त, उदार, लोकतांत्रिक, भेदभावरहित एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से युक्त होना चाहिए और उसका कर्तव्य है कि वह स्वयं नवीन ज्ञान से युक्त होकर, विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान से परिचित कराए। बाबासाहेब के अनुसार, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के निर्माण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपने एक भाषण में उन्होंने स्पष्ट किया कि, "यदि हमारे पास अच्छे शिक्षक हैं, तो हम अच्छे विद्यार्थी भी तैयार कर सकते हैं। शिक्षक एक स्वस्थ और संपूर्ण मानव व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक शिक्षक को समाज के सभी व्यक्तियों के

प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए।" (राठो, 2021, पृ. 3158–59)। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर कहा करते थे कि, "मुझे शिक्षण कार्य बहुत पसंद है और विद्यार्थियों से बहुत लगाव है। देश का भविष्य निश्चित रूप से विद्यार्थियों पर निर्भर होता है। विद्यार्थी ही देश की प्रगति को दिशा दे सकते हैं। वे शिक्षकों का बहुत सम्मान करते थे और उन्हें उच्च स्थान देने के पक्ष में थे। शिक्षक एक स्वस्थ और संपूर्ण मानव व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए उन्होंने सिफारिश की कि स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति से पहले उनके उच्च स्तर की जाँच होनी चाहिए" (राठो, 2021, पृ. 3159)।

शिक्षा कमीशन (1964–66) ने कहा था कि भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में पल रहा है अर्थात भारत का भविष्य शिक्षक पर निर्भर है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी कहा गया है कि शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं, जिसके कारण वे राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कहा गया था कि कोई राष्ट्र कितना प्रगति करेगा, यह निर्भर करता है कि उस राष्ट्र का शिक्षक कितना गुणवान एवं चरित्रवान है। शिक्षक के लिए पाँच प्रतिबद्धताएँ हैं— 1. विद्यार्थी के प्रति; 2. समाज के प्रति; 3. अपने पेशे के प्रति; 4. उत्कृष्टता के प्रति एवं 5. मानवीय मूल्यों के प्रति। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत भावी शिक्षकों में एक अच्छे स्वभाव का विकास और मूल्यों के निर्माण पर बल दिया गया है। उन्हें भारतीय मूल्यों, भाषाओं, ज्ञान तथा परंपराओं के साथ-साथ शिक्षा और शिक्षाशास्त्र में नवीनतम प्रगति से परिचित किया जाएगा। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* का मानना है कि, "अगली पीढ़ी को आकार देने वाले शिक्षकों की एक टीम के निर्माण में अध्यापक शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को तैयार करना एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके लिए बहु-विषयक दृष्टिकोण और ज्ञान की आवश्यकता के साथ-साथ, उच्च कोटी के परामर्शदाताओं के निर्देशन में मान्यताओं और मूल्यों के निर्माण के साथ ही साथ, उनके अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अध्यापक शिक्षा और शिक्षण प्रक्रियाओं से संबंधित अद्यतन प्रगति के साथ ही साथ भारतीय मूल्यों, भाषाओं, ज्ञान, लोकाचार, परंपराओं एवं जनजातीय परंपराओं के प्रति जागरूक रहें" (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* पृ. 67– 68)।

यद्यपि अध्यापक शिक्षा हेतु बहु-विषयक ज्ञान व समझ के साथ ही उच्चतर गुणवत्तायुक्त विषयवस्तु और शैक्षिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। अतः इसे ध्यान में रखकर संपूर्ण अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को समग्र बहु-विषयी संस्थानों में आयोजित किया जाना चाहिए। इस हेतु सभी बहु-विषयक विश्वविद्यालयों के साथ-साथ सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालय और बहु-विषयक महाविद्यालयों का लक्ष्य होगा कि वे अपने यहाँ ऐसे उत्कृष्ट शिक्षा विभागों की स्थापना करें जो शिक्षा में अत्याधुनिक अनुसंधानों के साथ मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, तंत्रिका विज्ञान, भारतीय भाषाओं, कला, संगीत, इतिहास और साहित्य के

अतिरिक्त विज्ञान एवं गणित जैसे अन्य विशिष्ट विषयों से संबंधित विभागों के साथ मिलकर भविष्य के शिक्षकों को तैयार करने हेतु अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम संचालित करें। इसके साथ ही वर्ष 2030 तक सभी एकल अध्यापक शिक्षा संस्थानों को बहु-विषयक संस्थानों के रूप में बदलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उन्हें भी चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करना होगा (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* पृ. 68)।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, विद्यालय एक पवित्र शिक्षण संस्थान है, जिसका ध्येय समाजिक परिवर्तन है। शिक्षण संस्थान में नियमित कामकाज को अनुशासित तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षण संस्थान श्रेष्ठ नागरिक निर्माण का संस्थान है (कुमार और रत्ने, 2018, पृ. 483–84)। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने एक प्रोफेसर के रूप में शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण कार्य किया, इसलिए उन्हें विद्यार्थियों के अंतर्मन की अच्छी समझ थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का संचार करना चाहिए एवं सीखे हुए कौशल का प्रयोग करते हुए अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने व्यवहार और चरित्र में ज्ञान, बुद्धि, विनम्रता और कठोर अनुशासन पर निर्भर रहना चाहिए। उसे जिज्ञासु प्रवृत्ति एवं ज्ञान पिपासु होना चाहिए। विद्या के साथ-साथ शिष्टता भी आवश्यक है और शिष्टता के बिना ज्ञान व्यर्थ है।

उन्होंने यह भी कहा कि शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों में सामाजिक भावनाओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा कि, "परीक्षा में अच्छे अंक लाना और डिग्री प्राप्त करना अलग बात है, किंतु संस्कारी, ज्ञानी और शिक्षाविद होना बिल्कुल अलग बात है। नवीन सृजन की क्षमता, तार्किक ढंग से प्रश्नों का उत्तर खोजने की क्षमता, आत्मविश्वास के साथ स्वयं को अभिव्यक्त करने की क्षमता, आंतरिक विचारों को दर्शकों के सामने ठीक से रखने की क्षमता और अवधारणाओं का मौलिक ज्ञान विद्यार्थियों में होना चाहिए। समाज एवं राष्ट्र की आवश्यकता के अनुकूल विद्यार्थियों को शिक्षित करना चाहिए। (कुमार और रत्ने, 2018, पृ. 484)। इसलिए विद्यार्थियों में संस्कृति, रीति-रिवाजों, कर्तव्यों, अर्थव्यवस्था, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, विभिन्न समाजों के विषय में ज्ञान और तार्किक समझ को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री तैयार की जानी चाहिए (राठो, 2021, पृ. 3158)। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के उपर्युक्त दृष्टिकोण से समानता रखती है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से जिन शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त कर एक विकसित भारत की परिकल्पना की गई है, वैसे ही विकसित भारत की परिकल्पना बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर आज से 76 वर्ष पूर्व कर चुके थे, जिसकी स्पष्ट झलक

उनके शैक्षिक दर्शन से होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर का शैक्षिक दर्शन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी प्रासंगिक है। यद्यपि बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर जिस समावेशी समाज का निर्माण करना चाहते थे, उसमें *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* एक सहायक की भूमिका में दिखाई देती है, किंतु उसकी कुछ चुनौतियाँ भी हैं। क्योंकि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में पाँचवीं कक्षा तक या संभव हो तो आठवीं कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा का प्रावधान है। कहने का आशय यह है कि ऐसा प्रावधान केवल सरकारी विद्यालयों में लागू होगा। जबकि प्राइवेट विद्यालयों में अंग्रेज़ी माध्यम जारी रहेगा। अब प्रश्न यह है कि सरकारी विद्यालयों के बच्चे, जिसमें अधिकांशतः शोषित-वंचित समाज एवं निर्धन परिवारों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्या वह अंग्रेजी माध्यम के बच्चों से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? इस दशा में क्या वह डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक या उच्च पद की सेवाएँ धारण कर पाएँगे। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत सरकारी विद्यालय के बच्चों को कौशल आधारित शिक्षा भी प्रदान करने पर बल दिया गया है। क्योंकि सरकारी विद्यालयों में अधिकांशतः पिछड़े, दलित एवं आदिवासियों के बच्चे पढ़ते हैं। अब प्रश्न यह है कि कौशल विकास के अंतर्गत जो स्थानीय स्तर की कौशल आधारित शिक्षा इन बच्चों को दी जाएगी, उससे क्या वे इन छोटे-छोटे कार्यों से अलग कोई बड़ा कार्य करने के विषय में सोच पाएँगे? एक ओर प्राइवेट विद्यालय का बच्चा सिविल सर्विसेज, आई.आई.टी., आई.आई.एम., की तैयारी कर रहा होगा, वहीं दूसरी ओर सरकारी विद्यालय का बच्चा छोटे-छोटे कार्यों में उलझा रहेगा और बड़ा सपना नहीं देख पाएगा।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के शैक्षिक दर्शन का मूल विषय है, सभी जाति, धर्म, जेंडर एवं संप्रदाय के मध्य स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय और नैतिक चरित्र के मूल्यों को विकसित करना, जो शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने शिक्षा को अज्ञान एवं अंधकार को समाप्त करने का एक साधन माना, इसलिए सामाजिक मुक्ति के लिए धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर बल दिया। उनका मानना था कि यदि राष्ट्र को समग्र रूप से विकसित करना है, तो सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के शैक्षिक दर्शन ने सामाजिक विकास और दलित सशक्तिकरण को नया आयाम दिया है। वे मानव को सशक्तिकरण एवं समावेशी समाज के निर्माण हेतु शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनके प्रयासों से समकालीन समाज में शोषित-वंचित समाज के व्यक्तियों के मध्य शिक्षा का स्तर विकसित हुआ है, जो उन्हें समाज में सशक्त बना रहा है, परंतु पूर्ण परिवर्तन अभी शेष है। यही कारण है कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इनकी छवि पूर्णतया नहीं बदली है। आज के ज्ञान-विज्ञान एवं तकनीकी युग में दलित विद्यार्थी अभी भी अपने शिक्षकों से अस्वीकृति का सामना कर रहे हैं। जिसका तत्कालीन उदाहरण

राजस्थान का दलित बच्चा है, जिसे उसके विद्यालय शिक्षक ने सिर्फ इसलिए निर्दयता से मारा, क्योंकि उसने विद्यालय में रखे मटके से पानी पी लिया था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। दलित वर्गों के बच्चों को अभी भी सीखने की प्रक्रिया से अलग रखा जाता है और उनके साथ कठोर व्यवहार किया जाता है (रावत, 2022)। अब यह देखना है कि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* समावेशी, भेदभावरहित एवं शोषण-विहीन समाज की स्थापना में कितना कारगर सिद्ध होती है।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर का शैक्षिक दर्शन प्राचीन और आधुनिक भारतीय शिक्षा का एक आदर्श मिश्रण है, जो केवल शोषित-वंचित समाज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण भारतीय समाज हेतु मूल्यवान है। उनके प्रयासों से शिक्षा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में सम्मिलित करके सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य बना दिया गया है। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के शैक्षिक विचार और दर्शन आदर्शवाद की तुलना में यथार्थवादी और व्यावहारिक हैं। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने व्यावहारिक मूल्यों पर बल दिया। उनके शैक्षिक दर्शन एवं समावेशी शिक्षा हेतु उनके द्वारा किए गए प्रयास *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में लक्षित होते हैं। यदि हम उनके विचारों और शैक्षिक सिद्धांतों का अनुसरण सत्यनिष्ठ होकर करें तो यह पूर्णतया संभव है कि भारत विश्वगुरु बनने में सफल हो जाए। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के जीवन संघर्ष एवं शैक्षिक दर्शन से विद्यार्थी प्रेरणा लेंगे तो वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे।

संदर्भ

कुमार, संजय. जून-अगस्त. 2022. स्वामी विवेकानन्द का स्त्री शिक्षा दर्शन. *मीरायन*. वर्ष-16, अंक-2 (पूर्णांक-62), मीरा स्मृति संस्थान, चित्तौड़गढ़.

कुमार, संतोष. 2019. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर्स आइडिया ऑन एजुकेशन— ए क्वेस्ट फॉर सोशल जस्टिस इन इंडिया. *आवर हेरिटेज*. वॉल्यूम-67, अंक-4.

कुमार, सुमन और रेशम विजय रत्ने. 2018. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर्स विजन ऑन द एजुकेशन एंड इट्स रिलेवेन्स. *आई.जे. सी.आर.टी.* वॉल्यूम-6, अंक-1.

चेंगटे, प्रह्लाद. जनवरी. 2016. डॉ. अम्बेडकर्स इम्पॉवरमेंट ऑन एजुकेशनल थॉट्स— सम रिव्यू. *इंडियन जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च*. वॉल्यूम-6 अंक-1.

जाटव, डी. आर. 2003. *डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, व्यक्तित्व एवं कृतित्व*. समता साहित्य सदन, जयपुर, राजस्थान.

डॉ. अम्बेडकर, बाबा साहेब. 2013. *संपूर्ण वाड़्मय,* खण्ड-4. डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली.

ढ़ल, प्रवत कुमार. 2017. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉ. बी. आर. अम्बेडकर टू इंडियन सोसाइटी. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनफॉरमेटिव एंड फ्यूचरिस्टिक रिसर्च*. वॉल्यूम-4, अंक-12.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* भारत सरकार, नई दिल्ली.

मीना शर्मा. 2021. नए भारत की नींव— राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. *हंस शोध सुधा*. वॉल्यूम-1, अंक-3.

मून, वसंत. 2000. *डॉ. बाबासाहब अंबेडकर*. नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली.

यादव, आशा. सितंबर, 2017. डॉ. भीमराव अम्बेडकर के शिक्षा संबंधी विचार और उनकी प्रासंगिकताएँ. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एकेडमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट*. वॉल्यूम-2, अंक-5.

रावत, विद्या भूषण. अगस्त 19, 2022. *इंद्र मेघवाल की हत्या— जातीय दुराग्रह की पराकाष्ठा*. 20.12.2023 को https://www.forwardpress.in/2022/08/news-analysis-rajasthan-jalore-1/ से प्राप्त किया गया.

राठो, रचिता सुब्रत. 2021. *डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर एंड एजुकेशन पॉलिसी* इल्कोग्रेटिम ऑनलाइन— *एलिमेंटरी एजुकेशन ऑनलाइन*. वॉल्यूम-20, अंक-6.

विमलकीर्ति, एल. जी. मेश्राम. 2015. *और बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा. खण्ड*-1. राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.

साईलक्ष्मी, बी. और एम. गुरु मोहन रेड्डी. 2018. डॉ. अम्बेडकर्स फिलॉसफी ऑन एजुकेशन— ए स्टडी, वेदाज. *जर्नल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर (जोएल), ए इंटरनेशनल पियर रिव्यूड जर्नल*. वॉल्यूम-5, स्पेशल अंक-1, यू.जी.सी. जर्नल नंबर-63751, जोएल, वेदा पब्लिकेशन. http://www.joel.in

सौभाग्य, जी. 2014. बी. आर. अम्बेडकर फिलॉसफी ऑन हायर एजुकेशन एंड इट्स रिलेवेन्स टू द प्रेजेंट सोसायटी. *इंटरनेशनल एजुकेशनल ई-जर्नल (क्वार्टरली)*. वॉल्यूम-3, अंक-2. www.oiirj.org

स्ट्रॉउड, स्कॉट आर. 2017. ह्वाट डिड भीमराव अम्बेडकर लर्न फ्रॉम जॉन डी.वी. डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन. *द प्युरालिस्ट*. वॉल्यूम-12, नं.-2, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोइस प्रेस ऑन विहॉफ ऑफ द सोसाइटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ अमेरिकन फिलॉसफी. https://www.jstor.org/stable/10.5406/pluralist.12.2.0078

श्रीवास्तव, वीरेन्द्र. 2011. *मिशन बाबा साहेब अम्बेडकर*. शिवांक प्रकाशन, नई दिल्ली.